



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर

www.cgghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक 107/2017

दिनांक 08/03/2017

विषय:-छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल नया रायपुर में निर्मित प्रकोष्ठ भवनों के मूल्य में 15 प्रतिशत छूट देने बाबत।

—000—

मण्डल द्वारा 51वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 24.09.2016 में पारित संकल्प क्रमांक 1430-11/51/09/22016 तथा आदेश क्रमांक 82/2016, दिनांक 21.11.2016 द्वारा दिनांक 15.12.2016 तक इस योजनांतर्गत भवनों के विरुद्ध संपूर्ण राशि जमा करने पर आर्बिट्रियों को (1) 60 दिवस में राशि जमा करने पर 15 प्रतिशत (2) 60 दिवस से 120 दिवस में राशि जमा करने पर 10 प्रतिशत छूट दी गई है। वर्तमान में भवनों के लिए आर्बिट्रियों को बैंक आदि से ऋण लेने में समय लग रहा है। अतः हितग्राहियों के कठिनाईयों को देखते हुए नया रायपुर के सेक्टर-27 तथा 29 के प्रकोष्ठ भवनों के मूल्य में 15 प्रतिशत की छूट दिनांक 31.03.2017 तक जारी रखने हेतु मण्डल के आदेश क्रमांक 102 दिनांक 30.12.2016 द्वारा मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में दी गई है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 52वाँ मण्डल सम्मिलन दिनांक 16.01.2017 की पद संख्या क्रमांक 26 के पारित संकल्प क्रमांक 1496/26/52/01/2017 द्वारा मण्डल सम्मिलन की अनुमोदन की प्रत्याशा में उपरोक्तानुसार की गई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए तथा अन्य कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया है।

(आदेशानुसार)

  
मुख्य संपदा अधिकारी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर

पृ.क्र. 562/स.प्र.शा./मु.सं.अधि./मुख्या/फा.नं.-183/2017 नया रायपुर, दिनांक 08/03/2017  
प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर, मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।

---02---

2. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
4. अपर आयुक्त-I/II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
7. उपायुक्त-I/II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर।
8. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/नया रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
9. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
10. लेखा अधिकारी-I/II, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नया रायपुर।
11. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-01,02,03,04 रायपुर/राज. परि.संभाग-01/02, रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द्र/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/विद्युत संभाग-01 नया रायपुर/विद्युत संभाग 02 रायपुर/विद्युत संभाग-03 बिलासपुर।
12. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03/04/05 रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/कवर्धा/बिलासपुर/रायगढ़/कोरबा/अंबिकापुर/कोण्डागांव/जगदलपुर/धमतरी/महासमुन्द्र/की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर।
14. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।



मुख्य संपदा अधिकारी.  
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल  
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर